आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 73 / 2019–राज्य कर

शिमला–2, 05 फरवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–25 / 2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 44 / 2019–राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–22 / 2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि नवम्बर, 2019 मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 23 दिसम्बर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"।

2. यह अधिसूचना 20 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
संजय कुंडू
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.–प्रधान अधिसूचना सं0 44 / 2019–राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–22 / 2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-25/2019 dated 05 /02 /2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 73/2019-State Tax

Shimla-2, the 5th February, 2020

No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.44/2019-State Tax, dated the 1st November, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-22/2019 dated the 04th November, 2019, namely:—

In the said notification, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of November, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 23rd December, 2019."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th Day of December, 2019.

By order,
SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 44/2019-State Tax, dated the 01st November was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-22/2019 dated 04th November, 2019.

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चमनो पुत्र स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.——मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 94 दिनांक 06–01–2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2109/274, दिनांक 04–01–2020, (2) शपथ पत्र, (3) प्रमाण–पत्र प्रधान ग्राम पंचायत सिढकुंड, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availbility Certificate, जिसमें आवेदक श्री चमनो पुत्र स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता जी श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता जी श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 04–01–2020 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 02–05–1986 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23–01–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।